कार्यालय, जिला मत्स्य पदाधिकारी, लातेहार ।

अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण

वित्तीय वर्ष 2017–18 की योजना – तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अन्तर्गत लातेहार जिला के कुल 280 प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को **Mash Feed** एवं **RFF** योजना तथा अन्य विभागीय कार्य हेतु **Floating Feed (Size – 1.5mm & 4mm)** के प्रयोग हेतु उसे कय करने हेतु मुहरबन्द निविदा दिनांक 02.05.2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किये जाएगें।

दिनांक 03.05.2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे उपायुक्त लातेहारं द्वारा गठित समिति के समक्ष उप विकास आयुक्त, लातेहार के कार्यालय कक्ष में निविदा खोली जाएगी।

विस्तृत जानकारी / निविदा की शर्तें लातेहार जिला के वेब साइट **www.jharkhand.gov.in** पर एवं जिला मत्स्य कार्यालय, लातेहार के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

21/4/2017

जिला मत्स्य पदाधिकारी

लातेहार।

कार्यालय, जिला मत्स्य पदाधिकारी, लातेहार ।

Floating Fish Feed (Formulated Fish Feed) एव Mash Feed (Formulated Spawn Feed) क्रय हेतु निविदा की शर्त्तें

1. निविदादाता को निविदा के साथ Floating Fish Feed (Formulated Fish Feed) तथा Mash Feed (Formulated Spawn Feed) की भौतिक तथा रसायनिक संरचना यथा साईज, प्रोटीन की मात्रा (%में), वसा की मात्रा (%में), फाइबर की मात्रा (%में) आहार संपरिवर्तन दर (FCR) आदि का विवरण देना होगा। उसमें प्रोटीन न्यूनतम– 28% से 30% तथा वसा 4% होनी चाहिए।

2. निविदादाता को पैन. नबंर की अभिप्रमाणित छाया–प्रति एवं वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (TIN) की अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं आयकर रिर्टन तीन वर्ष का (2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) अभिप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

3. निविदा के साथ सामग्री का सील बंद नमूना प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदा के साथ सरकारी क्षेत्र में कम से कम तीन वर्षो का Fish Feed आपूर्ति से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. निविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा। एक लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखे जायेगें तथा इस लिफाफे पर तकनीकी प्रस्ताव अंकित किया जायेगा । निविदादाता को निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में मो0 20000/–(बीस हजार) रू0 का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो किसी राष्ट्रीयकृत बैक द्वारा जारी किया गया हो, एवं अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से लातेहार में भुगतेय हो, संलग्न किया जायेगा । द्वितीय लिफाफ वित्तीय होगा जिसमे सिर्फ दर प्रति किलोग्राम अंकित होगा।

6. सफल निविदादाता को Feed की आपूर्ति गुणवत्ता आधारित मानकों के अनरूप अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तक निर्धारित समय सीमा के अंदर पहुँचा कर करनी होगी, गुणवत्ता के मापदंडों के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची मे डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

7. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवश सामग्री आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा । इस संबंध मे किसी न्यायालय में किसी प्रकार के वाद का दावा नहीं किया जा सकेगा।

8. दिनांक–03.05.2017 को पूर्वाहन 10.30 बजे उपायुक्त, लातेहार द्वारा गठित समिति के समक्ष उप विकास आयुक्त, लातेहार के कार्यालय कक्ष में निविदा खोली जायेगी। निविदादाता चाहें तो स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

9. विभाग हित में निविदा की शर्त्तो में बिना बताए किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिवर्तन करने, निविदा निरस्त करने स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा तथा किसी भी प्रकार का न्यायालय का क्षेत्र लातेहार होगा।

21/4/17

जिला मत्स्य पदाधिकारी
लातेहार ।